

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर

क्रमांक-विशिष्ट/प्रक्रि./आरटीई-मान्यता/2022-23/1448

दिनांक- 22-4-22

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आरटीई के अनुसार नियम (4) के नियम 84 के तहत स्थानीय समन्वयण आरएसवी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, करणी नगर लालगढ़ बीकानेर को आदेश क्रमांक 656 दिनांक 10.12.2012 के तहत आरटीई की मान्यता जारी की गई। उक्त मान्यता में कक्षा 1 से 5 तक अंकित किया गया जबकि वास्तव में विद्यालय को कक्षा 1 से 8 तक की आरटीई की मान्यता की जानी थी। अतः उक्त मान्यता कक्षा 1 से 8 पढ़ा जावे। उक्त मान्यता आरटीई की स्थाई मान्यता है।

(Signature)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर

दिनांक- 22/4/22

क्रमांक-विशिष्ट/प्रक्रि./आरटीई-मान्यता/2022-23/1448
प्रतिरिपि- निम्न को सूचनायें प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् उप निदेशक आरटीई प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. कार्यालय पत्रिका

(Signature)

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर